

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर

आदेश सं-112/ 2020 दिनांक: जुलाई 30, 2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक No. 1298/ LXXXVII-CPC/ e-Courts/ Allahabad दिनांकित 28.07.2020 के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन में आने वाले जनपद न्यायालय मुख्यालय व वाह्य न्यायालयों में कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में मेरे निर्देश पर नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर श्री अमरजीत द्वारा वाह्य न्यायालय खुर्जा का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या दिनांकित 30.07.2020 प्रस्तुत की गयी है। उक्त आख्या को अनुमोदित करने हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. निम्न वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा न्यायिक कार्य Video-conferencing के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा:-

- a. अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा
- b. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा
- c. सिविल जज (अवर खण्ड), खुर्जा
- d. अपर सिविल जज (अवर खण्ड), खुर्जा

2. उपरोक्त वर्णित सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के पैरा संख्या-02 में वर्णित कार्य सम्पादित किये जायेंगे जो कि निम्न प्रकार हैं:-

- a. एडमिशन नया व पैडिंग मामले।
- b. लम्बित व नये जमानत प्रार्थनापत्र।
- c. प्रकीर्ण फौजदारी अति आवश्यक प्रकरण।
- d. लम्बित व नये आवश्यक व्यादेश मामले।
- e. अण्डर ट्रायल अभियुक्तगण का रिमाण्ड वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से।
- f. अन्य ऐसी प्रकृति के मामले जिसको जिला न्यायाधीश उचित समझें।

3. वाह्य न्यायालय, खुर्जा हेतु ई-मेल आई डी ockhurja1@gmail.com है जिसको जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अंकित किया जावे। अंकित ई-मेल आई डी पर विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों को कुछ आवश्यक सूचनाओं जैसे कि विद्वान अधिवक्ता तथा वादकारीगण के मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई डी आदि भरकर प्रेषित किया जाये।

ई-मेल से प्राप्त ऐसे जमानत / अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, जिनमें किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं है, की एक प्रतिलिपि वाह्य न्यायालय, खुर्जा के कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त कर्मचारी डाउनलोड करके अभियोजन पक्ष/जिला शासकीय अधिवक्ता को प्रदान करें।

4. वाह्य न्यायालय, खुर्जा के कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त कर्मचारी इस ई-मेल आई डी से दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए उनको सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में पंजीकृत कर, कोई अनियमितता पाये जाने पर उसी दिवस सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित करेंगे। ऐसे मामले जिनमें कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है, सी.आई.एस. द्वारा जैनरेटिड काज लिस्ट में स्वतः ही दर्शित होने लगेगा।

5. केवल अतिआवश्यक प्रार्थना पत्र ही सी.आई.एस. जैनरेटिड काज लिस्ट में दर्शित किये जायेंगे बाकी वादों में सामान्य दिनांक नियत कर दी जायेगी।

6. माननीय उच्च न्यायालय के पत्र में दिये निर्देशानुसार वादों की सुनवाई हेतु JITSI MEET Video-conferencing software को बाह्य न्यायालय, खुर्जा में नियुक्त न्यायिक अधिकारीगण के मोबाइल/ लैपटाप पर इंस्टाल कर दिया गया है। इसके तहत कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त कर्मचारीगण द्वारा न्यायिक अधिकारीगण के साथ-साथ सम्बन्धित अधिवक्ता के तथा अभियोजन पक्ष/ जिला शासकीय अधिवक्ता के मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आई डी पर लिंक प्रेषित किया जाये जिसके द्वारा विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष/ जिला शासकीय अधिवक्ता न्यायालय की प्रक्रिया से विडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा जुड़ सकें।


7. रिमाण्ड/ जमानतनामें पेश करने के कार्यों हेतु सम्बन्धित अधिकारी कम से कम आवश्यक स्टाफ के साथ राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे। फेस मास्क तथा हैण्ड सैनिटाइजर का उपयोग भी नियमानुसार किया जायेगा। रिमाण्ड कार्य के लिए सिविल जज (अवर खण्ड), खुर्जा न्यायालय कक्ष में JITSI MEET Video-conferencing software को एक कम्प्यूटर पर इंस्टाल किया जाये। कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त कर्मचारीगण द्वारा न्यायिक अधिकारीगण को उनके मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आई डी पर लिंक प्रेषित किया जाये जिसके द्वारा वे न्यायालय की प्रक्रिया से विडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा अपने आवास से ही जुड़ सकें।

8. विद्वान अधिवक्ताओं व वादकारियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतया निषेध होगा।

9. उक्त समस्त प्रक्रिया को सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर प्रसारित करें।

सर्व सम्बन्धित अनुपालन हेतु सूचित हों।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, खुर्जा कार्य प्रारम्भ कर अविलम्ब अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।


30/7/2020

(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)

जनपद न्यायाधीश

बुलन्दशहर।